बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक – 6/रा0 ग्रा0 पे0 यो0–1013/13 441(m10) पटना,दिनांक – 30/1/2018

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा।

विषयः– **वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत 12 पुरानी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के पुनर्गठन हेतु स्वीकृत योजना अंतर्गत नवादा जिला के रसलपुरा एवं लौंद पुरानी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन हेतु केन्द्रांश मद से रू0 3.11564 लाख (तीन लाख ग्यारह हजार पांच सौ चौंसठ रूपये मात्र) की राशि की विमुक्ति ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम** अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 12 पुरानी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के पुनर्गठन तथा पाँच वर्षो के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक– 6/रा0 ग्रा0 पे0 यो0– 1013/13 – 2216 दिनांक– 11.11.14 के द्वारा कुल रू0 2539.458 लाख (पच्चीस करोड़ उनचालीस लाख पैंतालीस हजार आठ सौ रुपये मात्र) की राशि पर प्रदान की गई है, जिसमें 1269.729 लाख (बारह करोड़ उनहत्तर लाख बहत्तर हजार नौ सौ रुपये मात्र) रुपये केन्द्रांश की राशि सम्मिलित है।

2. इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत **लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, नवादा** को **रसलपुरा एवं लौंद** पुरानी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन हेतु कमशः रू0 2.71372 लाख (दो लाख एकहत्तर हजार तीन सौ बहत्तर रूपये मात्र) एवं रू0 0.40192 (चालीस हजार एक सौ बेरानबे रूपये मात्र) अर्थात कुल रू0 3.11564(तीन लाख ग्यारह हजार पांच सौ चौंसठ रूपये मात्र) की राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के **प्रोग्राम फण्ड** के लिए संधारित **बैंक खाते** के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत **प्रोग्राम फण्ड** के **बैंक खाते** के माध्यम से उक्त विमुक्त राशि से स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाए।

4. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

5. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) .1.2018

(दिनेश्वर प्र0 सिंह)
अभियंता प्रमुख –सह –विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 / रा0 ग्रा0 पे0 यो0 –1013 / 13 441 (आ0) पटना, दिनांक– 30/1/2018

प्रतिलिपि – क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रक्षेत्र, पटना एवं अधीक्षण अभियंता,लोक स्वास्थ्य अंचल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि – सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के **प्रोग्राम फण्ड** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, **नवादा** को उक्त राशि बैंक खाते के माध्यम से विमुक्त की जाय।

3. प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता (मो0)–1 को दो प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियंता (मो0)– 2 / सहायक अभियंता (मो0) / प्रभारी, डाटा सेन्टर / प्रशाखा पदाधिकारी– 6, कार्यवाह सहायक प्रशाखा – 6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लो0 स्वा0 अभि0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4. प्रतिलिपि– आप्त सचिव, सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

5. प्रतिलिपि– आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/- 29.1.2018

(दिनेश्वर प्र0 सिंह)

अभियंता प्रमुख –सह –विशेष सचिव